न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी – राकेश कुमार(आर.जे.एस.)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 33/2026

CNR Number : RJJH150004722026

भवानी सिंह पुत्र शिवसिंह उम्र 24 साल निवासी झेरली पुलिस थाना पिलानी जिला झुंझुनू

... प्रार्थी/अभियुक्तग

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी **.... अप्रार्थी**

जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 104/2026 पुलिस थाना, पिलानी
अपराध अंतर्गत धारा 108 भारतीय न्याय संहिता, 2023

उपस्थितः

1. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी – वास्ते राज्य।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री हजारीलाल सुनिया – वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त

––आदेश–– दिनांकः 06.06.2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उक्त जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 पेश किया गया। जमानत प्रार्थना पत्र की नकल अभियोजन अधिकारी को दिलावाई गई। केस डायरी दिलाई गई।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 22.04.2026 को परिवादी ने पुलिस थाना पिलानी के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि ''उसकी पुत्री अरूणा बीएससी, बीएड तक पढ़ी–लिखी थी। भवानी सिंह पिछले एक माह से लगातार उसकी पुत्री अरूणा को तंग–परेशान कर मानसिक रूप से परेशान कर उसकी पुत्री अरूणा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा था। उसकी पुत्री अरूणा ने आज दोपहर में भवानी सिंह से तंग–परेशान होकर आत्महत्या कर ली''...इत्यादि जिस पर पुलिस थाना पिलानी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 104/2026 अपराध अंतर्गत धारा 108 भारतीय न्याय संहिता, 2023 में दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ अपराध अंतर्गत धारा 108 भारतीय न्याय संहिता का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। वर्तमान में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में हैं। मुताबिक केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड शून्य होना प्रकट होता है।

03. बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

04. दौराने बहस प्रार्थी/अभियुक्त ने प्रार्थना पत्र में अभिलिखित तथ्यों की

पुनरावृत्ति करते हुए अभिकथन किया कि उक्त प्रकरण से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने मात्र परिवादी को सूचना दी थी। प्रार्थी/अभियुक्त प्रकरण में दिनांक 24.04.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त युवा हैं जिसके अभिरक्षा में रहने से उसका भविष्य खराब होने की पूरी–पूरी सम्भावना है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की सम्भावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

05. इसके विपरीत विद्वान अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्कों का विरोध कर जाहिर किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति के हैं। अभियुक्त द्वारा पीड़िता को लगातार तंग व परेशान किया जाता था, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने आत्महत्या कर ली। लिहाजा जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

06. उभय पक्षों के उपरोक्त तर्कों के प्रकाश में केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ परिवादी की पुत्री अरूणा को मानसिक रूप से तंग व परेशान करने एवं अरूणा को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के अपराध अंतर्गत धारा 108 भारतीय न्याय संहिता के तहत गम्भीर प्रकृति के अपराध के आरोप है। अनुसंधान से अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त आरोप प्रमाणित माना है। प्रार्थी/अभियुक्त पर अपराध अं० धारा **108** भारतीय न्याय संहिता का अभियोग है, जो अन्नयतः माननीय सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होकर दस वर्ष के कारावास से दण्डनीय है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों–परिस्थितयों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के विनम्र मत में इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई विचार व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

07. परिणामस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त **भवानी सिंह पुत्र शिवसिंह उम्र 24 साल निवासी झेरली पुलिस थाना पिलानी जिला झुंझुनू** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एतदद्वारा **अस्वीकार कर खारिज** किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त जमानत आदेश की एक प्रति निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे। न्यायिक नजीर In Re PoLicy Strategy for Grant of bail SMMP (Criminal) no. 04/2021 Date 31.01.2023 की पालना में प्रार्थी/अभियुक्त को व्यक्तिगत नोटिस हेतु आदेश की प्रति जरिए ई–मेल संबंधित कारागृह को प्रेषित की जावे।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी

08. आदेश आज दिनांक 06.06.2026 को लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी